

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 76/2025 बउनवानी तुलसी देवी जांगिड बनाम अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी व तह० मलारना डूंगर
GCMS No-2025/ 200

10/10/2025

20.8.2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " नामा० संख्या 863 दिनांक 6.8.2007 मे राजस्व रिकार्ड में तुलसी पुत्र कैलाश के स्थान पर सही नाम तुलसी देवी जांगिड स्व० श्री कैलाश चन्द जांगिड दुरुस्त करवाने बाबत प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.1.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना" अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.13(01)(86)सूकाअ/2025/925 दिनांक 31.7.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 5.6.2025 मे चाही गयी सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र 27.1.2025 सीधे ही उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को मार्क करने पर डाक आवक जावक अनुभाग के पत्रांक 1137 दिनांक 27.1.2025 द्वारा मूल ही उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को भिजवाया जा चुका है जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 678-79 दिनांक 11.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना के संबंध मे लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी के संबंध मे सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे पत्रांक 678-79 दिनांक 11.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित है। परिणाम स्वरुप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर